प्रेस विज्ञप्ति

30.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय, पटना आंचलिक कार्यालय ने बिहार सिपाही भर्ती 2023 परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक मामले की जांच के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 2.01 करोड़ रुपये मूल्य की 05 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, 2023 के प्रश्न पत्र लीक में संलिप्त विभिन्न टेलीग्राम यूआरएल, मोबाइल नंबरों व बैंक खातों के विरुद्ध ईओयू, पटना द्वारा आईपीसी, 1860 की धाराओं 120B, 420, 467, 468 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

ईओयू, पटना द्वारा एफआईआर में दायर 22.08.2024 के आरोप-पत्र के अनुसार, ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक कौशिक कुमार कर ने अपनी छद्म कंपनी कैल्टेक्स मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न-पत्र मुद्रित करने का ठेका प्राप्त करने हेतु षड्यंत्र रचा। सिपाहियों के केंद्रीय चयन बोर्ड, बिहार द्वारा अनुबंध कैल्टेक्स को प्रदान किया गया जबकि कैल्टेक्स के पास न तो मुद्रण का पिछला अनुभव था और न ही अपनी प्रेस। इस व्यवस्था के माध्यम से ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस की भूमिका छिपाई गई, जिसे पिछले पेपर लीक मामलों की वजह से ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। सिपाही भर्ती परीक्षा, 2023 के प्रश्न-पत्र कोलकाता से पटना भेजे गए और अन्य आरोपितों की मिलीभगत से परीक्षा केंद्रों के रास्ते में ही लीक हो गए। प्रश्न-पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे बिहार सरकार को वित्तीय हानि हुई तथा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के करियर पर बुरा असर पड़ा।

ईडी की जांच से पता चला है कि ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है) के लाभार्थी मालिक कौशिक कुमार कर ने पिछली परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक मामलों में ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस की संलिप्तता के कारण लगी पाबंदियों से बचने के लिए अपने सहयोगियों को प्रतिरूपी निदेशक के रूप में नियुक्त करके मेसर्स कैल्टेक्स मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम व शैली से एक नई कंपनी बनाई। कैल्टेक्स मल्टीवेंचर्स ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के जरिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, 2023 के लिए प्रश्न पत्र मुद्रित करने का ठेका हासिल किया, और केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार के साथ हुए अनुबंध का उल्लंघन करते हुए यह काम ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस को आउटसोर्स कर दिया। कैल्टेक्स मल्टीवेंचर्स को 5.9 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान भी मिला और उसने ब्लेसिंग सिक्योर्ड प्रेस को धनराशि का सिर्फ़ एक हिस्सा भेजा और 2.01 करोड़ रुपये की धनराशि अलग-अलग शेल कंपनियों के माध्यम से विपथित की गई, जो आखिर में खर्च कर दी गई।

ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय को कोलकाता स्थित शेल कंपनियों/संस्थाओं के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से परत-दर-परत छिपाया गया था जिनका वास्तविक संचालन व्यावसायिक कार्य नहीं था। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि धन के स्रोत और उनकी प्रकृति को छिपाने के लिए फर्जी लेनदेन के तहत विभिन्न शेल संस्थाओं में विपथित किया गया था और धन के निशान को समाप्त करते हुए नकदी में परिवर्तित कर दिया गया था। चूंकि अपराध की आय का आगे पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए कौशिक कुमार कर द्वारा नियंत्रित और लाभकारी रूप से स्वामित्व वाली एक अन्य कंपनी मेसर्स एनसी प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रखी गई 2.01 करोड़ रुपये की 05 अचल संपत्तियों को अब तक पहचानी गई अपराध की आय के समतुल्य मूल्य के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

अपराध से अर्जित आय और धन-शोधन में शामिल अन्य आरोपितों की भूमिका की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।